भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 60
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में जेजेएम के कार्यान्वयन में देरी

***60. श्री गौरव गोगोई:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुणवत्ता नियंत्रण में खामियों और परियोजनाओं की समय-सीमा में देरी के कारण असम में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत परियोजनाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) असम में जेजेएम परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और परियोजना समय-सीमा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार असम में जेजेएम परियोजनाओं के तहत कार्य आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से अवगत है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दावों की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और
(ङ) परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ङ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

असम में जेजेएम के कार्यान्वयन में देरी के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *60 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में क्रियान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। भारत सरकार, जेजेएम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 23.11.2024 तक, लगभग 12.06 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.11.2024 तक, देश के 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.29 करोड़ (79.09%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है।

असम राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, केवल 1.11 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 57.40 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.11.2024 तक, राज्य के 71.93 लाख ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 58.52 लाख (81.35%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

असम सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 03.10.2024 की अधिसूचना द्वारा, इसने अस्थायी ठहराव अवधि का आदेश दिया है। राज्य ने सूचित किया है कि वह इस अवधि के दौरान सभी चल रही और पूरी हो चुकी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करने की योजना बना रहा है। इस कवायद में कार्य की मात्रा और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा, परियोजना की आयोजनाओं के विचलन की पहचान की जाएगी, देरी का विश्लेषण किया जाएगा तथा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एजेंसियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजनाएँ जल जीवन मिशन (जेजेएम) के मानकों का अनुपालन करें।

(ग) से (ङ) जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, जेजेएम के अंतर्गत शिकायतों/सवालों आदि पर कार्रवाई और उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है। इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों द्वारा कार्यशीलता मूल्यांकन, ज़मीनी हकीकत का पता लगाने, शिकायतकर्ता से कॉल-आधारित फीडबैक, राष्ट्रीय टीमों द्वारा क्षेत्र दौरे, बैठकों में स्थिति की समीक्षा आदि जैसे कई उपाय करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समाधान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, असम सरकार ने सूचित किया है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

i) ठेकेदारों के लिए ई-बिल और ईएमबी: यह पहल ठेकेदारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने बिल तैयार करने में सक्षम बनाती है, जो सत्यापन के लिए स्वचालित रूप से संबंधित अनुभाग अधिकारी (एसओ) को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभाग से राज्य मुख्यालय तक निर्बाध रूप से ट्रैक किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और कार्यदक्षता सुनिश्चित होती है।
ii) योजना निगरानी उपकरण (एसएमटी): एक पारदर्शी निधि प्रवाह तंत्र जिसे ऑनलाइन बिल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाता है, जिससे जवाबदेही और सुव्यवस्थित संचालन को बढ़ावा मिलता है।
iii) जेजेएम ब्रेन: यह रिपोर्टिंग, निगरानी और डेटा प्रविष्टि के लिए डिज़ाइन किया गया व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे प्रभावी प्रबंधन और निरीक्षण में मदद मिलती है।

*****